

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

**विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण (Pay Protection) एवं तदनुसार वेतन भुगतान हेतु
मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)**

विभागीय अधिसूचना संख्या – 2460 दिनांक – 26/12/2023 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण (Pay Protection) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निम्नवत् है:-

1. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम 08 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का प्रावधान है।
2. इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, जिसमें राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार अन्य भत्ते यथा महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है।
3. विशिष्ट शिक्षक के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वर्ग I-V, वर्ग VI-VIII, वर्ग IX-X एवं वर्ग XI-XII के लिए मूल वेतन क्रमशः रुपये 25,000/-, रुपये 28,000/-, रुपये 31,000/- एवं रुपये 32,000/- से प्रारंभ होता है। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जिनका वेतन उक्त मूल वेतन से अधिक होगा, उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।
4. जिला स्तर पर वर्ग I-V, वर्ग VI-VIII, वर्ग IX-X एवं वर्ग XI-XII के ऐसे विशिष्ट शिक्षक, जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है, की सूची तैयार की जायेगी।
5. तत्पश्चात् उक्त सूची में संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष 01 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान की तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे-मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जायेगा। सुलभ प्रसंग हेतु वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे-मैट्रिक्स अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
6. ऐसे विशिष्ट शिक्षक, जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ देय हो, का मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) अगले तीन दिनों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा। तदनुरूप अक्टूबर, 2025 का वेतन का भुगतान जिला में उपलब्ध आवंटन से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. जिला में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा सकती है।
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) निर्धारित करने के उपरांत HRMS पोर्टल पर Payroll Generation Maker के आई० डी० से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर Pay Dropdown के तहत New Entitlement के विकल्प को चुना जायेगा।
9. तत्पश्चात् Create Pay Entitlement पेज खुल जायेगा, जिसमें Head of Account (HoA), Service Type का चयन कर Search बटन को क्लिक करेंगे।

(N)

10. इस प्रक्रिया से उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों/शिक्षकों की सूची प्रदर्शित हो जायेगी। तत्पश्चात् स्क्रीन के दायी ओर Select Option के तहत जिस भी विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन को Update किया जाना है, का चयन करेंगे। इस विकल्प के तहत एक साथ एक से अधिक शिक्षकों का चयन किया जा सकता है।
11. उक्त के उपरांत स्क्रीन के नीचे भाग में अवस्थित एक हरे रंग के बटन (Create Pay Entitlement) को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत उन सभी विशिष्ट शिक्षकों, जिसका चयन किया गया है, कि सूची प्रदर्शित हो जायेगी।
12. जिस विशिष्ट शिक्षक के Entitlement को Update किया जाना है, उसके नाम को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक का सैलरी संरचना (Pay Structure) स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे संशोधित किया जा सकता है।
13. इसके उपरांत मूल वेतन (Basic Pay) के समक्ष दिये गये ड्रापडाउन में नये मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) का चयन कर Save बटन को क्लिक करेंगे।
14. तत्पश्चात् ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षकों, जिनका मूल वेतन संशोधित किया गया है, को Checker एवं Approver द्वारा अपने-अपने लॉगिन आई० डी० से Approved किया जायेगा।
15. उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत HRMS पोर्टल के माध्यम से नये मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) के आधार पर वेतन निकासी प्रारंभ की जा सकती है। सुलभ प्रसंग हेतु इस प्रक्रिया का HRMS यूजर मैनुअल अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए विशिष्ट शिक्षकों के अक्टूबर, 2025 का वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

ज्ञापांक:- 2999.....

पटना, दिनांक- 14/10/2025

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बंधित शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग, पटना

(N)

अनुलग्नक:-1

**विशिष्ट शिक्षक को दिनांक 01.01.2025 या उसके बाद के योगदान करने वाले शिक्षक का वेतन
संरक्षण के उपरान्त पे-मैट्रिक्स के अनुरूप मूल वेतन का निर्धारण।**

1ली जनवरी 2025 को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में वेतनवृद्धि देय है।				1ली जुलाई 2025 को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में वेतनवृद्धि देय है		
वर्ग I-V				वर्ग I-V		
क्र०	स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसम्बर का मूल वेतन	स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 01ली जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतनवृद्धि के साथ मूल वेतन	विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे-मैट्रिक्स के अनुरूप निर्धारित मूल वेतन	स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसम्बर का मूल वेतन	स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 01ली जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतनवृद्धि के साथ मूल वेतन	विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे-मैट्रिक्स के अनुरूप निर्धारित मूल वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	24190	24920	25000	24190	24190	25000
2	24920	25670	25750	24920	24920	25000
3	25670	26450	26520	25670	25670	25750
4	26450	27250	27320	26450	26450	26520
5	27250	28070	28140	27250	27250	27320
6	28070	28920	28980	28070	28070	28140
7	28920	29790	29850	28920	28920	28980
8	29790	30690	30750	29790	29790	29850
वर्ग VI-VIII				वर्ग VI-VIII		
1	27140	27960	28000	27140	27140	28000
2	27960	28800	28840	27960	27960	28000
3	28800	29670	29700	28800	28800	28840
4	29670	30570	30600	29670	29670	29700
5	30570	31490	31510	30570	30570	30600
6	31490	32440	32460	31490	31490	31510
वर्ग IX-X				वर्ग IX-X		
1	27140	27960	31000	27140	27140	31000
2	27960	28800	31000	27960	27960	31000
3	28800	29670	31000	28800	28800	31000
4	29670	30570	31000	29670	29670	31000
5	30570	31490	31930	30570	30570	31000
6	31490	32440	32890	31490	31490	31930
वर्ग XI-XII				वर्ग XI-XII		
1	28510	29370	32000	28510	28510	32000
2	29370	30260	32000	29370	29370	32000
3	30260	31110	32000	30260	30260	32000
4	31110	32110	32960	31110	31110	32000
5	32110	33080	33950	32110	32110	32960
6	33080	34080	34970	33080	33080	33950

(N)